# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 86-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 12, 2023 (VAISAKHA 22, 1945 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

वित्त विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 12 मई, 2023

**संख्या 5/17/1998–2 PR (FD).**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतन प्रदान करने को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

**1.** (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम,2023, कहे जा सकते हैं।

(2) ये जनवरी, 2016, के प्रथम दिन से लागू हूए समझे जाएंगे।

नियमों का लागूकरण।

**2.** (1) इन नियमों द्वारा या के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा के उन सदस्यों को लागू होंगे, जिनका वेतन हरियाणा राज्य की समेकित निधि से विकलनीय है।

(2) ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, –

(क) व्यक्ति, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(ख) व्यक्ति, जो संविदा पर नियोजित किए गए हैं;

(ग) व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या प्रवर्ग, जिसे सरकार, आदेश द्वारा इन नियमों में दिए गए सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से विशिष्ट रूप से अपवर्जित करे।

परिभाषाएं।

**3.** इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (सीनियर डिवीजन तथा जूनियर डिवीजन) के संदर्भ में "सुनिश्चित जीविका प्रगति" से अभिप्राय है, अनुसूची के भाग III के खाना 3 तथा 4 में यथा वर्णित पुनरीक्षित स्तर;

(ख) "मूल वेतन" से अभिप्राय है, ऐसे पद के लिए वृत्तिमूलक वेतनमान के रूप में न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के लिए 31 दिसम्बर, 2015, को विहित वेतनमान आहरित किया गया वेतन जिसमें स्थिर वेतनवृद्धियां यदि कोई हो भी शामिल हैं, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार के वेतन जैसे कि "विशेष वेतन", "व्यक्तिगत वेतन" इत्यादि शामिल नहीं हैं;

(ग) "सी0एस0आर0" से अभिप्राय है, समय–समय पर यथा संशोधित तथा हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब सिविल सेवा नियम; तथा हरियाणा सिविल सेवा नियम;

(घ) किसी पद या किसी न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के संबंध में "विद्यमान वेतन" से अभिप्राय है, सेवा के सदस्य द्वारा धारित पद के लिए 31 दिसम्बर, 2015, को विहित वृत्तिमूलक वेतनमान।

**व्याख्याः–** किसी न्यायिक अधिकारी की दशा में, जो जनवरी, 2016, के प्रथम दिन को केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर या अवकाश पर या विदेश सेवा पर था या जिसने उस दिन को एक या अधिक निम्नतर पदों पर स्थानापन्न रूप में कार्य किया होता यदि वह किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न होता, के संबध में विद्यमान वेतन से अभिप्राय है, पद को लागू वृत्तिमूलक वेतनमान जो उसने धारण किया होता, यदि वह प्रतिनियुक्ति पर या अवकाश पर या विदेश सेवा, जैसी भी स्थिति हो, पर न होता, किंुत 31 दिसम्बर, 2015 को किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य किया होता ;

(ङ) सेवा के सदस्य के संबंध में "वृत्तिमूलक वेतनमान" या स्तर से अभिप्राय है, वेतनमान या स्तर जो उसके द्वारा धारित पद के लिए विहित किया जाता है। इसका अभिप्राय किसी अन्य वेतनमान या स्तर से नहीं है जिसमें वह किसी अन्य न्यायोचित के साथ अर्थात् किसी अन्य कारण से उच्चतर/ अतिरिक्त अर्हता पर या वेतनमान के उन्नत करने पर, वैयक्तिक अध्युपाय के रूप में अपना वेतन प्राप्त कर रहा है ;

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, इन नियमों द्वारा अथवा के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(छ) "न्यायिक अधिकारी" से अभिप्राय है, न्यायिक सेवा का कोई सदस्य जिसको इन नियमों के नियम 2 के अधीन ये नियम लागू होते हैं ;

(ज) "छुट्टी" से अभिप्राय है, आकस्मिक छुट्टी के सिवाय सिविल सेवा नियमों में यथा परिभाषित कोई स्वीकृत छुट्टी स्वीकृति के बिना ड्यूटी से कोई अनुपस्थिति छुट्टी के रूप में नहीं समझी जाएगी;

(झ) "स्थानापन्न पद" से अभिप्राय है, पद जो न्यायिक अधिकारी द्वारा धारण किया जाता है, जिसके लिए वह पृष्ट न किया गया हो या जिसके लिए वह अस्थाई अध्ययाय के रूप से नियुक्त किया गया हो जबकि अभी भी उसका धारणाधिकार किसी भिन्न पद पर रखा हुआ है अथवा जिस पद के लिए वह कर्तव्यों का पालन करता है जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसे पद पर धारणाधिकार रखता है। कोई पद धारणा करने वाला न्यायिक अधिकारी भी जो अभी परिवीक्षा पर है, स्थानापन्न पद धारण किये जाने वाला समझा जायेगा। आगे, यदि सक्षम प्राधिकारी किसी रिक्त पद पर, जिस पर कोई अन्य न्यायिक अधिकारी धारणाधिकार नहीं रखता है, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए किसी न्यायिक अधिकारी को नियुक्त करता है, तो ऐसी नियुक्ति भी स्थानापन्न पद के विरूद्ध नियुक्ति होगी ;

(ञ) "वेतन मैट्रिक्स " से अभिप्राय है, विद्यमान वेतनमान से समरूप यथा समुनदेशित वर्णामूलक सैलों में दिए गए वेतन स्तरों सहित अनुसूची के भाग–I में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स ;

(ट) "वेतन" से अभिप्राय है, उसकी व्यक्तिगत योग्यता अथवा उसके सेवा काल के बदलें में दिए गए विशेष वेतन या वेतन से भिन्न, वृत्तिमूलक वेतनमान या स्तर में न्यायिक अधिकारी द्वारा आहरित किया गया मासिक मूल वेतन,जो उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से अथवा स्थानापन्न हैसियत मे धारित पद के लिए स्वीकृत किया गया है, अथवा यदि जहां कोई संवर्ग गठित करने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के लिए वेतनमान में, जिसके लिए वह संवर्ग में अपने पद के कारण हकदार है, अलग से कोई वृत्तिमूलक वेतन मान या स्तर स्वीकृत नहीं किया गया है ;

(ठ) "न्यायिक अधिकारी को व्यक्तिगत अध्युपाय के रूप मे वेतनमान" से अभिप्राय है, न्यायिक अधिकारी, जिसे ये नियम लागू होते है, के संबंध में, विद्यमान वेतनमान से कोई वेतनमान भिन्न जिसमें ऐसा अधिकारी प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति तथा द्वितीय सुनिश्चित जीविका प्रगति जैसी भी स्थिति हो सहित अपना वेतन प्राप्त कर रहा है,

(ड) "पुनरीक्षित वेतन "से अभिप्राय है, न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के लिए विहित पुनरीक्षित वेतन स्तर में उसका मूल वेतन ;

(ढ) किसी पद अथवा ऐसा पद धारण करने वाले किसी न्यायिक अधिकारी के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन स्तर" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन विद्यमान वृत्तिमूलक वेतनमान के स्थान पर ऐसे पद के लिए विहित वेतन का पुनरीक्षित वृत्तिमूलक स्तर;

(ण) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(त) "अधिष्ठायी वेतन" से अभिप्राय है, ऐसे पद पर न्यायिक अधिकारी द्वारा आहरित किया गया वेतन, जिस पर वह अधिष्ठायी रूप से अथवा संवर्ग में उसके अधिष्ठायी पद के कारण नियुक्त किया गया है।

पुनरीक्षित वेतन स्तर।

**4.** सेवा के सदस्यों के विद्ययामान वेतनमान के समरूप वेतन का पुनरीक्षित वेतन स्तर, अनुसूची के भाग ।। में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान देने के लिए।

**5.** (1) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) का प्रत्येक सदस्य, जो पांच वर्ष की नियमित अवधि के लिए संतोष जनक सेवा के बाद 31 दिसम्बर, 2015 को पद के लिए विहित वृत्तिमूलक वेतनमान से उच्चतर वेतनमान या स्तर देने के निबंधनों के अनुसार कोई वित्तीय उन्नति प्राप्त नही करता है, जिस पर वह सीधी भर्ती द्वारा नए प्रवेशक के रूप में भर्ती किया गया था या वरिष्ट डिवीजन में नियोजन के बाद, जैसी भी स्थिति हों, प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान मे रखे जाने के लिए पात्र होगा।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) का प्रत्येक सदस्य जो दस वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संतोषजनक सेवा के बाद 31 दिसम्बर, 2015 को पद के लिए विहित वृत्तिमूलक वेतनमान से उच्चतर वेतनमान देने के निबंधनों के अनुसार एक से अधिक वित्तीय उन्नति प्राप्त नहीं करता है, जिस पर वह सीधी भर्ती द्वारा नए प्रवेशक के रूप में भर्ती किया गया था या वरिष्ठ डिवीजन में नियोजन के बाद, जैसी भी स्थिति हो, वह द्वितीय सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान देना।

**6.** (1) नियम 5 सुसंगत वेतन स्तरों में रखे जाने के लिए पात्रता की शर्त अधिकथित करता है तथा सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर जिसमें हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) का सदस्य इन नियमों के अधीन रखे जाने के लिए पात्र है, में रखे जाने के लिए स्वतः नियोजन के लिए प्राधिकृत नहीं करता है। ऐसे अधिकारियों की दशा, में पदोन्नति देने के लिए सक्षम प्रधिकारी उनके कार्य तथा अनुपालन के मूल्यांकन पर समुचित सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन स्तर में ऐसे अधिकारी को रखे जाने के लिए प्राधिकृत करते हुए इन नियमों के अधीन सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान देने के लिए उचित आदेश पारित करेगा।

**व्याख्याः–** इस नियम के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राय है, पद से संबंधित प्रवर्गों के लिए पदान्नति की दशा मे सक्षम प्राधिकारी।

(2) इस प्रकार प्रदान किए गए सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनस्तर अनुवर्ती मास, जिसमें यह देय था, की प्रथम तिथि से तथा न कि उस तिथि, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए थे, से प्रभावी होंगे, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी किए गए आदेश ऐसी तिथि को जारी किए गए है, जो पात्रता की देय तिथि से भिन्न है,:

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्य केवल सुसंगत सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनस्तर में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे वेतनस्तर देने के लिए जारी आदेशों के बाद ही अपना वेतन ले सकेगें:

परन्तु यह और की यदि किसी कारणवश सुनिशचित जीवीका प्रगती में एक वर्ष से अधिक विलम्ब हो जाता है तो सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर देने पर बकाया आहरित करते समय समायोजन के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष के विलम्ब के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रदान की गई वेतनवृद्धि पुनरिक्षित वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन भाग नहीं बनेगी तथा एक प्रथम घटक (दो वर्टीकल सैलों का अन्तर) के रूप में अनुमत की जाएगी।

पुनरीक्षित स्तर तथा वेतन मैट्रिक्स पद्धति में प्रारम्भिक वेतन का नियतन।

**7.** न्यायिक अधिकारी का प्रारम्भिक वेतन प्रथम जनवरी, 2016 सें अनुसुचिक भाग–। में यथा विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स में निम्नलिखित रीति में, नियत किया जाएगा, अर्थात्:–

न्यायिक अधिकारी का विद्यमान वेतन प्रथम जनवरी, 2016 को तालिका क में दर्शाए गए अनुसार वेतन मैट्रिक्स फीटमैंट में अनुरूप स्तर 1 से 44 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के पुनरीक्षित स्तरों में पुनरीक्षित तथा नियत किया जाएगाा। पुनरीक्षित स्तर में यथा उपरोक्त वेतन नियत करते समय कोई वेतनवृद्धि या अतिरिक्त लाभ देते हुए वेतन का कोई फीटमेंट या नियतन नहीं किया जाएगा।

**(i)** न्यायिक अधिकारियों की पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पैट्रन में प्रथम जनवरी, 2016 से श्रेणी बद्धता निम्न प्रकार से है:–

| *वेतन मैट्रिक्स पैट्रन* | *श्रेणीबद्धता* |
|---|---|
| सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन) प्रवेश स्तर | **J-1** |
| सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन)ए0सी0पी0–1 | **J-2** |
| सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन)ए0सी0पी0–**II** | **J-3** |
| सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) प्रवेश स्तर | **J-3** |
| सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन)ए0सी0पी0–1 | **J-4** |
| सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन)ए0सी0पी0–**II** | **J-5** |
| जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर | **J-5** |
| जिला न्यायाधीश (सलेक्शन ग्रेड) | **J-6** |
| जिला न्यायाधीश (अतिकाल वेतन) | **J-7** |

**(ii)** प्रथम जनवरी, 2016 को वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन स्तरों में विद्यामान वेतनमान के 1 से 44 स्तरों के लिए पुनरीक्षित वेतन निम्नलिखित अनुसार होगा :–

| तालिका–क | | |
|---|---|---|
| क्रम संख्या | विद्यमान वेतन | पुनरीक्षित वेतन |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 27,700 | 77,840 |
| 2. | 28,470 | 80,180 |
| 3. | 29,240 | 82,590 |
| 4. | 30,010 | 85,070 |
| 5. | 30,780 | 87,620 |
| 6. | 31,550 | 90,250 |
| 7. | 32,320 | 92,960 |
| 8. | 33,090 | 95,750 |
| 9. | 34,010 | 95,750 |
| 10. | 34,930 | 98,620 |
| 11. | 35,850 | 1,01,580 |
| 12. | 36,770 | 1,04,630 |
| 13. | 37,690 | 1,07,770 |
| 14. | 38,610 | 1,11,000 |
| 15. | 39,530 | 1,14,330 |
| 16. | 40,450 | 1,14,330 |
| 17. | 41,530 | 1,17,760 |
| 18. | 42,610 | 1,21,290 |
| 19. | 43,690 | 1,24,930 |
| 20. | 44,770 | 1,28,680 |
| 21. | 45,850 | 1,32,540 |
| 22. | 46,930 | 1,32,540 |
| 23. | 48,010 | 1,36,520 |
| 24. | 49,090 | 1,40,620 |
| 25. | 50,320 | 1,44,840 |
| 26. | 51,550 | 1,49,190 |
| 27. | 52,780 | 1,49,190 |
| 28. | 54,010 | 1,53,670 |
| 29. | 55,240 | 1,58,280 |
| 30. | 56,470 | 1,63,030 |
| 31. | 57,700 | 1,63,030 |
| 32. | 58,930 | 1,67,920 |
| 33. | 60,310 | 1,72,960 |
| 34. | 61,690 | 1,78,150 |
| 35. | 63,070 | 1,78,150 |
| 36. | 64,450 | 1,83,490 |
| 37. | 65,830 | 1,88,990 |
| 38. | 67,210 | 1,88,990 |
| 39. | 68,750 | 1,94,660 |
| 40. | 70,290 | 1,99,100 |
| 41. | 71,830 | 2,05,070 |
| 42. | 73,370 | 2,11,220 |
| 43. | 74,910 | 2,17,560 |
| 44. | 76,450 | 2,24,100 |

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि की तिथि।

**8.** (1) वेतनवृद्धि नियुक्ति या पदोन्नति या वितिय अपग्रेडेशन के अनुसार वर्ष में एक बारे प्रदान की जाएगी।

(2) किसी न्यायिक अधिकारी की अगली वेतनवृद्धि, जिसका वेतन नियम 7 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनस्तर में नियत किया गया है, उस तिथि को दी जाएगी जिसको वह अपनी वेतनवृद्धि लेता यदि वह विद्यमान वेतनमान में बना रहता।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव।

**9.** इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पंजाब सिविल सेवा नियम या हरियाणा सिविल सेवा नियम या इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों के उपबन्ध ऐसे मामलों में, जहां वेतन इन नियमों के अधीन उस सीमा तक विनियमित किया जाता है, जहां तक वे इन नियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे।

परिवर्धन या विलोपन इत्यादि करने की शक्ति

**10.** जहां सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि पदों के किसी वर्ग या प्रवर्गों में परिवर्धन या विलोपन करने या अनुसूची में या तो स्थाई रूप से पदनाम तथा वेतनमान बदलने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तों का परिवर्धन करने या विलोपन करने या बदलने के लिए सक्षम होगी। इन नियमों के उपबन्ध ऐसे परिवर्धन या विलोपन या बदलाव ,जो सरकार विशिष्ट आदेश द्वारा र्निदेश करें या उसके अभाव में इन नियमों के सभी उपबन्ध लागू होगे, मानो बदलाव इन नियमों के अधीन किये गए थे।

निर्वाचन।

**11.** यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह वित विभाग में सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

शेष उपबन्ध।

**12.** किसी सामान्य या विशेष परस्थितियों (परिस्थितियों) की दशा में जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं या जिनके बारे में बाद में कतिपय असंगति ध्यान में आती है, तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार, वित विभाग के परामर्श से, ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुसरण की जाने वाली शर्तें विहित करेगी इस नियम के अधीन सरकार द्वारा यथा ऐसी शर्तें विहित की जाएं, इन नियमों के भाग रूप में समझी जाएंगी। आगे, यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के अधीन कतिपय अतिरिक्त शर्तें विहित करने की अवश्यकता है, करेगी तो इन नियम के अधीन सरकार द्वारा, यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें तथा ऐसी अतिरिक्त शर्तें इन नियमों के भाग रूप में समझी जाएंगी।

**अनुसूची भाग–I**

| क्रम संख्या | सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन) प्रवेश स्तर | सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन) प्रथम स्तर ए.सी.पी. | सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन) द्वितीय स्तर ए.सी.पी. / सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) प्रवेश स्तर | सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) प्रथम स्तर ए.सी.पी. | सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) द्वितीय स्तर ए.सी.पी. / जिला न्यायधीश प्रवेश स्तर | जिला न्यायधीश (सलेक्शन ग्रेड) | जिला न्यायधीश (अतिकाल वेतन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विद्यमान वेतनमान | 27700–47700 | 33090–45850 | 39530–54010 | 43690–56470 | 51550–63070 | 57700–70290 | 70290–76450 |
| विद्यमान प्रवेश स्तर | 27700 | 33090 | 39530 | 43690 | 51550 | 57700 | 70290 |
| स्तर | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | J-7 |
| वर्ष 1 | 77840 | 92960 | 111000 | 122700 | 144840 | 163030 | 199100 |
| वर्ष 2 | 80180 | 95750 | 114330 | 126380 | 149190 | 167920 | 205070 |
| वर्ष 3 | 82590 | 98620 | 117760 | 130170 | 153670 | 172960 | 211220 |
| वर्ष 4 | 85070 | 101580 | 121290 | 134080 | 158280 | 178150 | 217560 |
| वर्ष 5 | 87620 | 104630 | 124930 | 138100 | 163030 | 183490 | 224100 |
| वर्ष 6 | 90250 | 107770 | 128680 | 142240 | 167920 | 188990 | |
| वर्ष 7 | 92960 | 111000 | 132540 | 146510 | 172960 | 194660 | |
| वर्ष 8 | 95750 | 114330 | 136520 | 150910 | 178150 | 200500 | |
| वर्ष 9 | 98620 | 117760 | 140620 | 155440 | 183490 | 206510 | |
| वर्ष 10 | 101580 | 121290 | 144840 | 160100 | 188990 | 212710 | |
| वर्ष 11 | 104630 | 124930 | 149190 | 164900 | 194660 | 219090 | |
| वर्ष 12 | 107770 | 128680 | 153670 | 169850 | | | |
| वर्ष 13 | 111000 | 132540 | 158280 | 174950 | | | |
| वर्ष 14 | 114330 | 136520 | 163030 | 180200 | | | |
| वर्ष 15 | 117760 | | | | | | |
| वर्ष 16 | 121290 | | | | | | |
| वर्ष 17 | 124930 | | | | | | |
| वर्ष 18 | 128680 | | | | | | |
| वर्ष 19 | 132540 | | | | | | |
| वर्ष 20 | 136520 | | | | | | |

**भाग-II**

**(पुनरीक्षित वेतनस्तर)**

| क्रम संख्या | सेवा | विद्यमान वेतनमान | पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| क. हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) | | | |
| (i) | सिविल जज (कनिष्ठ डिवीजन) प्रवेश स्तर | 27700–44770 रूपये | J-1 |
| (ii) | सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) प्रवेश स्तर | 39530–54010 रूपये | J-3 |
| ख. हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा | | | |
| (i) | जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर | 51550–63070 रूपये | J-5 |
| (ii) | सलेक्शन ग्रेड | 57700–70290 रूपये<br><br>(पदों के 25 प्रतिशत के लिए उपयुक्तता के अध्यधीन संवर्ग में 5 वर्ष सेवा सहित ) | J-6<br><br>(पदों के 25 प्रतिशत के लिए उपयुक्तता के अध्यधीन संवर्ग में 5 वर्ष सेवा सहित )<br><br>(पदों के 35 प्रतिशत के लिए उपयुक्तता के अध्यधीन) संवर्ग में 5 वर्ष सेवा सहित प्रथम जनवरी 2020 से प्रभावी |
| (iii) | अतिकाल वेतन | 70290–76450 रूपये<br>सलेक्शन ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा सहित जिला न्यायाधीश के रूप में संवर्ग में पदो ंके 10 प्रतिशत के लिए) | J-7<br><br>(सलेक्शन ग्रेड मे कम से कम तीन वर्ष की सेवा सहित जिला न्यायाधीश के रूप में पदो ंके 10 प्रतिशत के लिए)<br><br>(सलेक्शन ग्रेड मे कम से कम तीन वर्ष की सेवा सहित जिला न्यायाधीश के रूप में पदो ंके 15 प्रतिशत के लिए) प्रथम जनवरी 2020 से प्रभावी |

**भाग–III**

**[हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों के लिए सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर]**

| क्रम संख्या | प्रवेश वेतनमान सहित सेवा | प्रथम / I –स्टेज सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान | द्वितीय / II –स्टेज सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ डिवीजन)<br>स्तर -J-1 | स्तर -J-2<br><br>(नियमित संतोषजनक सेवा के 5 वर्ष बाद) | स्तर -J-3<br><br>(प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान देने के अगले 5 वर्ष बाद) |
| 2. | सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ डिवीजन)<br>स्तर -J-3 | स्तर -J-4<br>(वरिष्ठ डिवीजन में नियोजन के बाद नियमित संतोषजनक सेवा के 5 वर्ष बाद) | स्तर -J-5<br>(प्रथम सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतनमान देने के अगले 5 वर्ष बाद) |

हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2023 के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन।

नियम 1. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 2. यह नियम नियम 2 के उप–नियम (2) के अधीन निकाले गये प्रवर्गो के सिवाय, न्यायिक अधिकारियों के उन प्रवर्गों को अधिकथित करता है जिन्हें ये नियम लागू होते हैं, ये नियम उन सभी न्यायिक अधिकारियों को लागू हैं, जो हरियाणा सरकार की नियम बनाने वाली शक्ति के अधीन नियुक्त किए गए हैं और हरियाणा सरकार के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में कार्यरत हैं और जिनका वेतन हरियणा सरकार की संचित निधि से विकलनीय है। ये अधिकारियों के किन्हीं अन्य प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे।

नियम 3. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

आगे, जहां कहीं भी इस नियम के अधीन परिभाषित निबन्धन इन नियमों में अथवा इन नियमों के सम्बन्ध में जारी किए गए किन्हीं अन्य नियमों/अनुदेशों/आदेशों/ अधिसूचनाओं इत्यादि में वर्णित हैं, इस नियम के अधीन यथा विहित परिभाषाएं, तब तक ऐसे निबन्धनों के अर्थ के रूप में ली जाएंगी जब तक कि विशेष रूप से ऐसे निबन्धनों के लिए कोई भिन्न परिभाषा विहित न की जाए जिसे इन नियमों में, या किसी अन्य नियमों/अनुदेशों/आदेशों/ अधिसूचनाओं इत्यादि, जैसी भी स्थिति हो, के लिए या में अर्थ के रूप में न लिया गया हो।

नियम 4. वेतनमान, इन नियमों के यथा फलस्वरूप पद के लिए विहित किए गए पुनरीक्षित वृत्तिमूलक वेतनस्तर हैं। मूल भाव यह है कि ये नियम पदों के लिए पुनरीक्षित वृत्तिमूलक वेतनस्तर विहित करते हैं और सामान्य रूप में प्रतिस्थापन स्तरों को विहित नहीं करते। इस नियम की अनुसूची में यथावर्णित विद्यमान वेतनमान केवल यह प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्णित किए गये है, कि पुनरीक्षित वृत्तिमूलक वेतनस्तर क्या होंगे तथा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

नियम 5. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

यह ऐसी शर्तों को अधिकथित करता है, जिनको इन नियमों के अधीन लाभ देने के लिए पात्र बनाने वाले न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है।

नियम 6. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

यह नियम इन नियमों के अधीन विस्तारित किए जाने वाले लाभ को देने के प्राधिकार को अधिकथित करता है।

नियम 7. यह नियम प्रथम जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित वृत्तिमूलक वेतनस्तरों में वेतन के वास्तविक निर्धारण से संबंधित है। इन नियमों के प्रयोजन के लिए, इस नियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, तथा न किसी अन्य नियम के अधीन किसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

यह नियम पद (अनुरूप पद के लिए विद्यमान वृतिमूलक वेतनमानों का प्रतिस्थापन) के लिए पुनरीक्षित विहित वृत्तिमूलक वेतनस्तर में वेतन का निर्धारण विहित करता है जो इन नियमों के लागूकरण का परिणाम है।

नियम 8. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 9. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 10. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 11. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम 12. यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

FINANCE DEPARTMENT

**Notification**

The 12th May, 2023

**No. 5/17/1998-2PR(FD).—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the grant of revised pay to the persons appointed to the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service, namely :-

Short title and Commencement.

**1.** (1) These rules may be called the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service Revised Pay Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

Application of rules.

**2.** (1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to members of Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service whose pay is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana.

(2) These rules shall not apply to,-

(a) persons not in whole time employment;

(b) persons employed on contract;

(c) any other class or category of persons whom the Government may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.

Definitions.

**3.** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"assured career progression (ACP)"** with reference to Haryana Civil Service (Judicial Branch) (Senior Division and Junior Division) means the revised level as mentioned in **columns 3 and 4 of Part III of the Schedule**;

(b) **"basic pay"** means pay drawn in the prescribed scale of pay as on 31.12.2015 for the post held by the Judicial Officer as functional scale of pay for such post including stagnation increments, if any, but not including any other type of pay like special pay, personal pay etc;

(c) **"CSR"** means the Punjab Civil Services Rules and Haryana Civil Services Rules as amended from time to time and as applicable to the State of Haryana;

(d) **"existing scale"** in relation to any post or any member of the Judicial Service means the functional pay scale as on 31st December, 2015 prescribed for the post held by the member of the service.

**Explanation:-** In the case of a Judicial Officer who was on the 1st day of January, 2016, on deputation in Centre/any State Government or on leave or on foreign service or who would have on that day officiated on one or more lower posts but for his officiating in a higher post existing scale means the functional scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation or on leave or on foreign service, as the case may be, but for his officiating in a higher post, as on 31st December, 2015;

(e) **"functional pay scale or level"** in relation to a member of the service means the pay scale or level which is prescribed for the post held by him. It does not mean any other pay scale or level in which he is drawing his pay as a personal measure to him with any other Justification e.g. on higher/additional qualification or on upgradation of pay scale or level due to any other reason;

(f) **"Government"** means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department save as otherwise provided by or under these rules;

(g) **"Judicial Officer"** means a member of the judicial Services to whom these rules apply under rule 2 of these rules;

(h) **"leave"** means any sanctioned leave as defined in CSR, except casual leave. Any absence from duty without the sanction of competent authority shall not be considered as leave;

(i) **"Officiating post"** means the post which is held by the judicial Officer to which he has not been confirmed or to which he has been appointed as a temporary measure while still retaining his lien on a different post or on which he performs the duties while another person holds a lien to such post. The Judicial Officer occupying a post while still on probation is also to be considered to be holding an officiating post. Further, if competent authority has appointed a Judicial Officer to officiate on a vacant post on which no other judicial Officer holds a lien, even such appointment shall be an appointment against an officiating post;

(j) "**pay matrix**" means Matrix specified in Schedule, Part –I, with levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing pay scale.

(k) **"pay"** means the basic pay drawn monthly by Judicial Officer, other than special pay or pay granted in lieu of his personal qualification or his length of service, in the functional pay scale or level, which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity or in case where no separate functional pay scale is sanctioned for the post held by the Judicial Officer constituting a cadre, in the pay scale or level to which he is entitled by reason of his position in a cadre;

(l) **"Pay scale as a personal measure to the Judicial Officer"** means any scale of pay, other than the existing scale, in which such officer is drawing his pay, including 1st Assured Career Progression Scale and 2nd Assured Career Progression Scale, as the case may be, with respect to the Judicial Officer to whom these rules apply;

(m) **"revised pay"** means basic pay of a Judicial Officer in the revised pay level prescribed for the post held by him;

(n) **"revised pay level"** in relation to any post or any Judicial Officer occupying such post means revised functional level of pay prescribed for such post in place of the existing functional pay scale under these rules;

(o) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

(p) **"substantive pay"** means pay drawn by the Judicial Officer on the post to which has been appointed substantively or by reason of his substantive position in a cadre.

Revised level of pay.

**4.** The revised level of pay corresponding to existing pay scale of the members of the service shall be, as specified in **Schedule, Part-II**.

Eligibility for the grant of assured career progression scale.

**5.** (1) Every member of Haryana Civil Service (Judicial Branch) who, after satisfactory service for a regular period of five years has not got any financial upgradation in terms of grant of a pay scale or level higher than the functional pay scale prescribed for the post as on 31.12.2015, on which he was recruited as a direct fresh entrant or after placement in the Senior Division, as the case may be,shall be eligible, for placement in the I-Stage Assured Career Progression Level.

(2) Every member of the Haryana Civil Service (Judicial Branch) who, after satisfactory service for minimum period of ten years has not got more than one financial upgradation in terms of grant of pay scale or level higher than the functional pay scale prescribed for the post as on 31.12.2015, on which he was recruited as a direct fresh entrant or after placement in the Senior Division, as the case may be, shall be eligible, for placement in the II- Stage Assured Career Progression Level.

Grant of Assured career Progression scale.

**6.** (1) Rule 5 lays down the eligibility conditions for placement in the relevant pay levels and does not authorize the placement automatically for placement in the Assured Career Progression level in which the member of Haryana Civil Service (Judicial Branch) is eligible for placement under these rules. The authority competent to grant the promotion in the case of such officer shall pass suitable orders for grant of Assured Career Progression level under these rules on appraisal of his work and performance authorizing the placement of such officer in the appropriate Assured Career Progression Level.

**Explanation :-** The authority competent for the purpose of this rule means the authority competent in the case of promotion for the respective categories of post.

(2) The Assured Career Progression Level so granted shall be effective from the 1st date of the succeeding month in which it was due and not from the date from which the orders were issued by the competent authority, if the orders so issued by the competent authority has been issued on a date which is different from the due date of eligibility:

Provided that the member of the Haryana Civil Service (Judicial Branch) shall draw his pay only after the orders for granting such levels are issued by competent authority in relevant Assured Career Progression Level.

**Provided further that, if for any reason, delay in grant of ACP goes beyond one year, one additional increment for every year delay shall be granted subject to adjustment while drawing the arrears on grant of ACP Level. Increment such granted shall not form the part of basic pay in revised pay matrix level and shall be allowed as a separate component (difference of two vertical cells).**

Fixation of initial pay in the revised level and Pay Matrix Pattern

**7.** The initial pay of a Judicial Officer shall be fixed with effect from 1st January, 2016, in the Pay Matrix as specified in Schedule, Part –I, in the following manner, namely :-

The existing pay of the Judicial Officer as on 1.1.2016 shall be revised and fixed in the revised levels of Pay Matrix at the corresponding stages 1 to 44 in the 'Pay Matrix Fitment' as shown in Table 'A'. There shall not be any fitment or fixation of pay by granting any increment or additional weightage while fixing the pay as above in the revised level.

**Pay Matrix Pattern**

(i) The Categorization of the Judicial Officers in Revised Pay Matrix Pattern w.e.f. 1.1.2016 shall be as under:-

| **Category** | **Level in Pay Matrix** |
|---|---|
| Civil Judge (Junior Division) (Entry Level) | J-1 |
| Civil Judge (Junior Division) (ACP-I) | J-2 |
| Civil Judge (Junior Division) (ACP-II) | J-3 |
| Civil Judge (Senior Division) (Entry Level) | J-3 |
| Civil Judge (Senior Division) (ACP-I) | J-4 |
| Civil Judge (Senior Division) (ACP-II) | J-5 |
| District Judge (Entry Level) | J-5 |
| District Judge (Selection Grade) | J-6 |
| District Judge (Super Time Scale) | J-7 |

(ii) The Revised Pay for 1 to 44 stages of existing scale in the revised pay levels in Pay Matrix as on 1st January, 2016 shall be as under :-

**Table-A**

| **Sr. No.** | **Existing Pay** | **Revised Pay** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 27,700 | 77,840 |
| 2. | 28,470 | 80,180 |
| 3. | 29,240 | 82,590 |
| 4. | 30,010 | 85,070 |
| 5. | 30,780 | 87,620 |
| 6. | 31,550 | 90,250 |
| 7. | 32,320 | 92,960 |
| 8. | 33,090 | 95,750 |
| 9. | 34,010 | 95,750 |
| 10. | 34,930 | 98,620 |
| 11. | 35,850 | 1,01,580 |
| 12. | 36,770 | 1,04,630 |
| 13. | 37,690 | 1,07,770 |
| 14. | 38,610 | 1,11,000 |
| 15. | 39,530 | 1,14,330 |
| 16. | 40,450 | 1,14,330 |
| 17. | 41,530 | 1,17,760 |
| 18. | 42,610 | 1,21,290 |
| 19. | 43,690 | 1,24,930 |
| 20. | 44,770 | 1,28,680 |
| 21. | 45,850 | 1,32,540 |

| Table-A | | |
|---|---|---|
| **Sr. No.** | **Existing Pay** | **Revised Pay** |
| 1 | 2 | 3 |
| 23. | 48,010 | 1,36,520 |
| 24. | 49,090 | 1,40,620 |
| 25. | 50,320 | 1,44,840 |
| 26. | 51,550 | 1,49,190 |
| 27. | 52,780 | 1,49,190 |
| 28. | 54,010 | 1,53,670 |
| 29. | 55,240 | 1,58,280 |
| 30. | 56,470 | 1,63,030 |
| 31 | 57,700 | 1,63,030 |
| 32. | 58,930 | 1,67,920 |
| 33. | 60,310 | 1,72,960 |
| 34. | 61,690 | 1,78,150 |
| 35. | 63,070 | 1,78,150 |
| 36. | 64,450 | 1,83,490 |
| 37. | 65,830 | 1,88,990 |
| 38. | 67,210 | 1,88,990 |
| 39 | 68,750 | 1,94,660 |
| 40. | 70,290 | 1,99,100 |
| 41. | 71,830 | 2,05,070 |
| 42. | 73,370 | 2,11,220 |
| 43. | 74,910 | 2,17,560 |
| 44. | 76,450 | 2,24,100 |

Date of increment in the revised scale.

**8.** (1) The increment shall be once in a year as per the date of appointment or promotion or financial upgradation.

(2) The next increment of a Judicial Officer whose pay has been fixed in the revised level in accordance with rule 7 shall be granted on the date he would have drawn his increment, had he continued in the existing scale.

Overriding effect of rules.

**9.** The provisions of CSR or any other rules made in this regard shall not save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules to the extent the same are inconsistent with these rules.

Power to make addition or deletion etc.

**10.** Where the Government is satisfied that there is a necessity to make additions or to delete any class or categories of posts or change the designations and pay levels either permanently or temporarily in the Schedule, the Government shall be competent to add to or delete or to change such conditions. The provisions of these rules shall apply on such additions or deletions or changes, as the Government may, direct by specific orders or, in the absence of that, all the provisions of these rules shall apply as if the changes were made under these rules.

Interpretation.

**11.** If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Government in the Finance Department, whose decision thereon shall be final.

Residuary provisions.

**12.** In the event of any general or special circumstance(s) which is not covered under these rules or about which certain inconsistency comes to the notice at a later stage, the matter shall be referred to the Government and the Government, in consultation with the Finance Department, shall prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions, as prescribed by the Government, under this rule shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions under these rules, the Government shall prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be the part of these rules.

**Schedule-Part-I**

| Sr. No. | Civil Judge (Jr. Div) Entry Level | Civil Judge (Jr. Div) I Stage ACP | Civil Judge (Jr. Div) II Stage ACP/Civil Judge (Sr. Div) Entry Level | Civil Judge (Sr. Div) I Stage ACP | Civil Judge (Sr. Div) II Stage ACP/District Judges Entry Level | District Judges (Selection Grade) | District Judges (Super Time Scale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Existing Pay Scale** | 27700-44700 | 33090-45850 | 39530-54010 | 43690-56470 | 51550-63070 | 57700-70290 | 70290-76450 |
| **Existing Entry Pay** | 27700 | 33090 | 39530 | 43690 | 51550 | 57700 | 70290 |
| **Level** | **J-1** | **J-2** | **J-3** | **J-4** | **J-5** | **J-6** | **J-7** |
| Year 1 | 77840 | 92960 | 111000 | 122700 | 144840 | 163030 | 199100 |
| Year 2 | 80180 | 95750 | 114330 | 126380 | 149190 | 167920 | 205070 |
| Year 3 | 82590 | 98620 | 117760 | 130170 | 153670 | 172960 | 211220 |
| Year 4 | 85070 | 101580 | 121290 | 134080 | 158280 | 178150 | 217560 |
| Year 5 | 87620 | 104630 | 124930 | 138100 | 163030 | 183490 | 224100 |
| Year 6 | 90250 | 107770 | 128680 | 142240 | 167920 | 188990 | |
| Year 7 | 92960 | 111000 | 132540 | 146510 | 172960 | 194660 | |
| Year 8 | 95750 | 114330 | 136520 | 150910 | 178150 | 200500 | |
| Year 9 | 98620 | 117760 | 140620 | 155440 | 183490 | 206510 | |
| Year 10 | 101580 | 121290 | 144840 | 160100 | 188990 | 212710 | |
| Year 11 | 104630 | 124930 | 149190 | 164900 | 194660 | 219090 | |
| Year 12 | 107770 | 128680 | 153670 | 169850 | | | |
| Year 13 | 111000 | 132540 | 158280 | 174950 | | | |
| Year 14 | 114330 | 136520 | 163030 | 180200 | | | |
| Year 15 | 117760 | | | | | | |
| Year 16 | 121290 | | | | | | |
| Year 17 | 124930 | | | | | | |
| Year 18 | 128680 | | | | | | |
| Year 19 | 132540 | | | | | | |
| Year 20 | 136520 | | | | | | |

**Part - II**

**(Revised pay Levels)**

| Sr. No. | Service | Existing Scale | Revised Pay Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A.** | **Haryana Civil Service (Judicial Branch)** | | |
| (i) | **Civil Judge (Junior Division) Entry Level** | Rs. 27700-44770 | J-1 |
| (ii) | **Civil Judge (Senior Division) Entry Level** | Rs. 39530-54010 | J-3 |
| **B.** | **Haryana Superior Judicial Service** | | |
| (i) | **District Judge Entry Level** | Rs. 51550-63070 | J-5 |
| (ii) | **Selection Grade** | Rs. 57700-70290 (for 25% of the posts with 5 years' service in cadre subject to suitability) | J-6<br><br>(for 25% of the posts with 5 years' service in cadre subject to suitability)<br><br>(for 35% of the posts with 5 years' service in cadre subject to suitability, effective from 1.1.2020) |
| (iii) | **Super Time Scale** | Rs. 70290-76450 (for 10% of the posts in the cadre as District Judge with minimum of 3 years service in Selection Grade). | J-7<br><br>(for 10% of the posts in the cadre as District Judge with minimum of 3 years service in Selection Grade).<br><br>**(for 15% of the posts in the cadre as District Judge with minimum of 3 years service in Selection Grade, effective from 1.1.2020)** |

**Part – III**

**[Assured Career Progression levels for members of Haryana Civil service Judicial Branch)]**

| Sr. No. | Service with entry scale | First/ I- Stage Assured Career Progression Level | Second/ II- Stage Assured Career Progression Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Civil Judge (Junior Division)**<br>**Level- J-1** | **Level- J-2**<br>(After 5 years of regular satisfactory service) | **Level- J-3**<br>(After another 5 years of the grant of 1st Assured Career Progression Scale) |
| 2. | **Civil Judge (Senior Division)**<br>**Level- J-3** | **Level- J-4**<br>(After 5 years of regular satisfactory service, after placement in the senior division). | **Level- J-5**<br>(After another 5 years of the grant of 1st Assured Career Progression Scale). |

***Memorandum Explanatory to the Haryana Civil Services (Judicial Branch) andHaryana Superior Judicial Service Revised Pay Rules, 2023***

**Rule 1.** This rule is self-explanatory.

**Rule 2.** This rule lays down the categories of Judicial Officers to whom the rules apply, except for the categories excluded under sub rule (2) of rule 2. These rules are applicable to all Judicial Officers appointed under the rule making power of the Government of Haryana serving in connection with the affairs of Government of Haryana and whose pay is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana. They do not apply to any other categories of officers.

**Rule 3.** The rule is self-explanatory.

Further, wherever the terms defined under this rule are mentioned in these rules or in any other rules/instructions/orders/notifications etc. issued in connection with these rules, definitions as prescribed under this rule are to be taken as the meaning of such terms unless specifically a different definition is prescribed for such terms to be taken as meaning for and in these rules or, as the case may be, in any other rules/instructions/ orders/notifications etc.

**Rule 4** Scale of pay is the revised functional pay level prescribed for the post as a consequence of these rules. The fundamental sense is that these rules prescribe the revised functional pay level for the services and do not prescribe replacement levels in general. The existing scales, as mentioned in the Schedule of these rules, have been mentioned only with the objective of deriving as to what shall be the revised functional pay level and for no other purpose.

**Rule 5.** The rule is self-explanatory.

It lays down the conditions which are essential to be met by an officer of the Judicial Service to be eligible for the grant of benefit under these rules.

**Rule 6.** The rule is self-explanatory.

The rule lays down the authorization of the grant of the benefit to be extended under these rules.

**Rule 7.** This rule deals with the actual fixation of the pay in the revised functional pay levels on 1st January, 2016. For the purpose of these rules, the procedure under this rule, and no other procedure under any other set of rules, shall be followed.

This rule prescribes the fixation of pay in the revised prescribed functional pay level for the post (substituting the existing functional pay scales for the corresponding post) as a consequence of the application of these rules.

**Rule 8.** The rule is self-explanatory.

**Rule 9.** The rule is self-explanatory.

**Rule 10.** The rule is self-explanatory.

**Rule 11.** The rule is self-explanatory.

**Rule 12.** The rule is self-explanatory.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department .

10371—C.S.—H.G.P., Pkl.